प्र.क्र. /2014 निगरानी

R - 1334 - III / 14

प्र० प्रे - 24 / 4/5 प्रेषित
आज दि. 24-4-14 को

24-4-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निराकृत / निर्णीत
आदेश दिनांक..........

1. सोभा उर्फ सोमा पत्नी दलीपा जाटव
2. प्रभा पत्नी बल्लू जाटव निवासीगण ग्राम इमलिया तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

--- आवेदकगण

बनाम

1. भमरा
2. रोशन
3. तुलाराम
4. नरेश पुत्रगण दिबिया जाटव निवासीगण ग्राम इमलिया तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

--- अनावेदक

2

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1324/III/14 | जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-5-2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 116/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के प्रकरण कमांक 116/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-14 का अवलोकन किया गया, जिसके व्दारा तहसीलदार खनियाधाना के प्रकरण कमांक 175/12-13/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 20-6-13 को निरस्त किया गया है।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 29-6-13 के अवलोकन पर पाया गया कि महिला शोभा पत्नि दलीप। चमार ग्राम इमलिया ने तहसीलदार खनियाधाना को इस आशय का आवेदन दिया था कि ग्राम इमलिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 726/11/2/1 रकबा 0.60 हैक्टर में से क्षेत्रफल 50X50 वर्गफीट पर अनावेदकगण व्दारा जबरन कब्जा करके मकान निर्माण किया जा रहा है। नायव तहसीलदार ने मौजा पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की एंव सुनवाई व जांच पर अनावेदकगण का उक्तांकित भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कराना पाया गया, जिसे आदेश दि. 29-6-13 पारित करके सात दिवस	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1334–तीन/2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–5–2014	निगरानीकर्ता की ओर से श्री एस0पी0 धाकड अभिभाषक द्वारा एक आवेदन दिनांक 19–5–14 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रकरण के अंतिम आदेश दिनांक 19–5–14 में टायपिंग त्रुटि हो गई है। आदेश दिनांक 19–5–14 के द्वितीय पैरा के अंतिम पंक्ति में तहसीलदार खनियाधाना का आदेश दिनांक 29–6–13 के स्थान पर 20–6–13 एवं आदेश के पांचवे पैरा में तहसीलदार खनियाधाना के स्थान पर तहसीलदार पिछोर टंकित हो गया है। अतः टायपिग त्रुटि में सुधार किया जाये। 2/ निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। मूल आदेश दिनांक 19–5–14 के द्वितीय पैरा के अंतिम पंकित में तहसील खनियाधाना का आदेश दिनांक "20–6–13" के स्थान पर "29–6–13" एवं आदेश के पांचवे पैरा में तहसीलदार "पिछोर" के स्थान पर तहसीलदार खनियाधाना पढ़ा जाये। उक्त आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग रहेगा। सदस्य	